

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 11-02-2019

विषय:- प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को जनपद से बाहर के मा0 न्यायालयों में पेश करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रदेश की कारागार में निरुद्ध बंदियों को निरुद्धि की जनपद की कारागार से बाहर के जनपदों में स्थित मा0 न्यायालयों में भी पेशी हेतु भेजा जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बाहर के जनपदों में स्थित मा0 न्यायालयों में बंदी को पेश करते समय बंदी के केवल वही वारण्ट प्रेषित किये जाते हैं, जिन मुकद्दमों में उन्हें पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालयों के समक्ष बंदी के अन्य मुकद्दमों में वांछित होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, और न ही यह स्पष्ट हो पाता है कि किन-किन तिथियों में उस बंदी को अन्य प्रकरणों में मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाना है। इससे मा0 न्यायालयों को अपने से सम्बन्धित प्रकरणों में अग्रिम सुनवाई की तिथि देने में असुविधा होती है। जिला कारागार, लखनऊ के एक प्रकरण में इसी प्रकार की स्थिति मा0 न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -04 (केन्द्रीय) कोर्ट नं0-119 तीस हजारी न्यायालय दिल्ली के समक्ष उत्पन्न होने पर मा0 न्यायालय द्वारा इस समस्या के निदान के दृष्टिगत समुचित दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि बंदियों को बाह्य जनपद के मा0 न्यायालयों में पेश करते समय स्थानीय जनपद के मुकद्दमों का विवरण भी प्रकरणों में अग्रिम तारीख पेशी की सूचना के साथ प्रेषित किया जाए। इस हेतु आवरण के साथ एक विवरण पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाये। विवरण पत्र का प्रारूप अनुपालनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

8/2/19
(चन्द्र प्रकाश)

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

कारागार का नाम _____

पेशा होने वाले बंदी का विवरण

पेशी तिथि _____

क्र. सं.	बंदी व पिता का नाम तथा बंदी के पहचान चिन्हों का विवरण	मुकदमों का विवरण जिसमें बंदी पेशी हेतु भेजा जा रहा है	मा० न्यायालय का नाम जहाँ पेशी हेतु भेजा जा रहा है
1.			

नोट—समस्त प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से अंकित कर वारण्ट संलग्न किए जायें।

बंदी के अन्य लम्बित मुकदमों का विवरण

क्र.सं.	मुकदमों का विवरण	मा० विचारण न्यायालय	विगत आदेशित तिथि	अग्रिम आदेशित तिथि
1				
2				
3				

व _____ अन्य मुकदमों

अभ्युक्ति—

जेलर
जिला / केन्द्रीय कारागार
जनपद _____